

19⁰⁷/₂₂ पत्रावली पेश/ वादी की ओर से कोई
उपस्थित नहीं। वादी ने जूले न्यायालय
में का-का जोर-जोर से आवाज़ें
लगाई गई लेकिन फिा की कालतन
या कालतन न्यायालय में उपस्थित
नहीं। अतः यह पत्रावली अहम हाजरी
व अहम पेशी में खारिज की जाती है।
पत्रावली का तुरंत तर्कीव होकर
दोषित हफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
घड़साना